

पृष्ठ नं. [क 779]
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय- वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 16-6/07/सात/2ए
प्रति

भोपाल, दिनांक 4/09/2008

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश,

विषय-गौशालाओं के लिये भूमि आबंटन संबंधी नीति।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में पंजीयत गौशाला समिति की मर्यादा एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर घरनाई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर एक ग्राम पंचायत में केवल एक गौशाला हेतु न्यूनतम एक और अधिकतम दस एकड़ तक भूमि गौशालाओं के लिये रुपये 1/- (एक रुपया) मांकेतिक शुल्क लेकर निम्न शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति पर दी जा सकेगी:-

1. घरनाई एवं निस्तार की भूमि को छोड़कर अन्य शासकीय भूमि जिसकी विधि अनुसार गद परिवर्तित की जा सकती है ऐसी भूमि में से जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति की अनुशंसा पर कलेक्टर एक ग्राम पंचायत में केवल एक गौशाला समिति को भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति दे सकेगा।
2. ऐसी अनुज्ञप्ति केवल उन्ही गौशालाओं को दी जा सकेगी जो मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत हों।
3. संस्था के पास गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवरा (गाय, बछड़ा) रखे जावेंगे जिनका कोई स्वामी न हो अशक्त, बीमार, वृद्ध हों। ऐसे कम से कम 50 गौवशी पशु उपलब्ध हों।
4. गौवरा के जीवित पशु व मृत पशु से होने वाली आय गौशाला के खाते में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जायेगा।
5. गौशाला के संचालन के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट व संस्था के वित्तीय स्थिति की जानकारी सुनिश्चित की जावे जिससे गौशाला का संचालन सुचारु रूप से हो सके।
6. गौशाला समिति का किसी बैंक में खाता हो तथा नियमित रूप से आडिट किया गया हो और गौशाला समिति के पास अधोसंरचना निर्माण हेतु अपनी पूंजी उपलब्ध हो।
7. भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति पंजीकृत गौशाला के नाम से की जा सकेगी।
8. भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिये ही किया जा सकेगा।
9. अनुज्ञप्ति प्राप्त भूमि को विक्रय, पट्टा, उप पट्टा, बंधक, किराये अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
10. भूमि की उपयोग अनुज्ञप्ति अस्थायी तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिये ही होगी। मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा खसरा अभिलेख इत्यादि में भूमिस्वामी के कालम में मध्यप्रदेश शासन गौशाला लिखा रहेगा।
11. अन्य आवश्यक शर्तें जो जिला कलेक्टर उचित समझे अधिरोपित कर सकेगा।
12. गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन 2007 अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा।
13. किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकेगी।
14. गौशाला समिति द्वारा किसी भी शर्त उल्लंघन की स्थिति में उसी समिति को भविष्य में प्रदेश में गौशाला हेतु भूमि उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति के लिये विचार में नहीं लिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.एन.सानी)
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
भोपाल, दिनांक 4/09/2008

पू 0 क्रमांक एफ 16-6/07/सात/2ए
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशु पालन विभाग।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Letter to collector

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 16-6/07/सात 2ए

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2010

प्रति,

कलेक्टर (समस्त),

जिला

मध्य प्रदेश.

विषय:- प्रदेश में गौशालाओं के लिये भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक एफ 16-6/07/सात/2ए दिनांक 04.09.2010

संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश में गौशाला संचालन हेतु भूमि उपलब्ध कराने संबंधी नीति जारी की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चरनोई भूमि आबंटन के संबंध में प्रारित निर्णय दिनांक 05.02.2009, जिसकी प्रति आपकी ओर शासन के पत्र दिनांक 12.03.2009 द्वारा प्रेषित की गई है, के परिप्रेक्ष्य में गौशाला संचालन हेतु चरनोई भूमि का रकबा निर्धारित दो प्रतिशत से कम न होने की शर्त पर चरनोई के रूप में दर्ज भूमि भी आबंटित की जा सकती है।

(एन. एस. परमार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

पृ क्रमांक एफ 16-6/07/सात-2ए

भोपाल, दिनांक

13, सितम्बर, 2010

प्रतिलिपि

1. आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

भोपाल संभाग में जून 2019 की स्थिति में गौशालाओं को लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों की जानकारी

क्रमांक	जिले का नाम	गौशाला का नाम	लंबित प्रकरण	निराकृत प्रकरण	यदि लंबित है तो कब तक निराकरण किया जावेगा
1	भोपाल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	विदिशा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	रायसेन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	सीहोर	श्री सीताराम गौशाला, गड़रिया नाला, बुदनी	1	—	शीघ्र कार्यावाही संभावित है
5	राजगढ़	श्रीराम गौशाला, लीमा चौहान, वि.ख. सारंगपुर	1	—	दिसंबर 2019 तक कर दिया जाएगा।


 उप संचालक
 म. प्र. गौपालन एवं पशुधन सवर्धन बोर्ड
 भोपाल